

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा पदाधिकारी (विज्ञापन संख्या-02 / 2020) के पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना।

चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रकाशित (विज्ञापन संख्या-02 / 2020) के आलोक में अभिलेख सत्यापन के क्रम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र के साथ झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र-11 में निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (Non-Creamy layer Certificate) उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतएव साक्षात्कार में सम्मिलित अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के वैसे सभी अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 में निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (Non-Creamy layer Certificate) समर्पित नहीं किया गया है, को आरक्षण के लाभ हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र-11 में झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (Non-Creamy layer Certificate) दिनांक-31.10.2020 तक समर्पित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। तदनुसार अभ्यर्थी अपना स्वहस्ताक्षरित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र रकैन कर आयोग के ई-मेल आईडी medicalofficer022020@jpsc.gov.in पर अथवा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पंजीयन संख्या एवं अनुक्रमांक साफ अक्षरों में अंकित कर "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001" के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपर्युक्त निर्धारित तिथि (दिनांक-31.10.2020) तक वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह०/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति (विवाहित
 महिला के मामले में) ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
 , राज्य/संघशासित प्रदेश जाति के सदस्य हैं, जो
 झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II)
 के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये धर्म को माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार
 साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
 में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं
 प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.
 1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
 राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन
 क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.),
 दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदक तथा उसकी/उसके
 माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत
 होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी
 अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता
 स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान	हस्ताक्षर
तिथि	पदनाम
	कार्यालय के सील सहित

FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of Wife of (in case of married woman) of Village/ Town District/Division* of the State/Union Territory belongs to the Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes Religion.

2. * and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the purpose.

Signature.....

Designation

Place..... (with seal of office)

Date.....